

## बाबा साहेब देश के जीवन का एक कैलेण्डर हैं

कनक तिवारी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर तटस्थ मूल्यांकन से ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार के किरदार बनाए जाते हैं। अम्बेडकर को संविधान के आर्किटेक्ट या निर्माता के रूप में वीर पूजा से प्रचारित किया जाता है। कटु आलोचक अरुण शौरी जैसे लोग अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कमतर महत्व देते हैं। अम्बेडकर नहीं होते तो करीब दो वर्षों में उनकी प्रतिभा के बिना आईन की आयतों के चेहरे के कट्टर स्थिर नहीं किये जा सकते थे। अम्बेडकर कानून की नैसर्गिक प्रतिभा के सबसे जहीन पैरोकार थे। उन्हें वर्तमान की तरह भविष्य की भी चिंता थी। जाति व्यवस्था की सड़ांध का दंश अम्बेडकर ने अपने स्त्रायुओं में झेला था। वेदना को सामाजिक क्रोध और इंकलाब के आह्वान के रूप में कानूनी इबारत में ढालकर अंधेरी पगडंडियों को राजमार्ग में बदलने का मौलिक काम बाबा साहेब ने किया।

हर पार्टी भारतरत्न अम्बेडकर को अपनी छ्ती पर टांकने आतुर और मुकाबिले में है। अम्बेडकर ने आजादी के बाद राज्यसभा में खुला ऐलान भी किया था जो संविधान उन्होंने बनाया है, एक तरह से बकवास है। उनका बस चले तो उसे जला देंगे। अम्बेडकर के जीवन और विचारों से निर्मम सच झरते हैं। लगभग पूरे वाद विवाद में अम्बेडकर ने अल्पमत बहुमत का संसदीय पहाड़ा पढ़ाए बिना बार बार सर्वसम्मत फार्मूला अपने धाकड़ अंदाज में निकाला। उनकी निर्णायक प्रस्तुति के खिलाफ पेश लगभग सभी संशोधन खारिज होते गए।

अम्बेडकर गांधी की सियासी दृष्टि से संविधान निर्माण विरोधी रहे। सविनय अवज्ञा, धरना, सिविल नाफरमानी, असहयोग, जन आंदोलन और हड़ताल जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध के गांधी हथियारों का कानूनी निष्ठा के कारण विरोध किया। उनकी संवेदना लेकिन एक मुद्दे पर चूक गई। उन्होंने कहा सरकार से शिकायत हो तो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दस्तक दें। सड़क आंदोलन की क्या जरूरत है। खस्ताहाली को भी लुटने वाले वकीलों की फीस, जजों की कमी, नासमझी, चरित्रहीनता और ढिलाई तथा मुकदमों की मर्दमशुमारी से परेशान पूरी व्यवस्था के रहते अम्बेडकर के आश्वासन के बाद जनता का भरोसा बुरी तरह कुचल दिया गया है।

ग्राम स्वराज पर आधारित गांधी की प्रस्तावित शासन व्यवस्था की अम्बेडकर ने खिल्ली उड़ाई। उनके आग्रह के कारण शहर आधारित, विज्ञानसम्मत और उद्योग तथा कृषि की मिश्रित अर्धसमाजवादी व्यवस्था का पूरा ढांचा नेहरू के नेतृत्व में खड़ा हुआ। बाबा साहेब के अनुसार हमारे गांव गंदगी, अशिक्षा और नादान समझ के नाबदान रहे हैं। वे नहीं मानते थे गांव प्राचीन गणतंत्र की मशाल रहे होंगे।

हिन्दू धर्म के सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नेता अम्बेडकर को कांधों पर उठाए घूमते हैं। ऐसा किए बिना सत्ता के तख्तेताउस में दरारें आने की गुंजाइश हो सकती है। अम्बेडकर ने दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का पुख्ता इंतजाम क्षतिपूर्ति की तरह किया। वे चाहते थे हिन्दू धर्म की कूडमगजता और जातीय अत्याचारों के चलते बंचित वर्गों को बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। उकताकर वे लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में चले गए। यह मानसिकता बाबा साहेब ने जातिप्रथा की पिस्तौल के कारण दिखाई। बुद्ध ने शून्य से लेकर अनंत तक जाने तक के जीवन का धार्मिक विश्वविद्यालय अकेले खड़ा किया। अम्बेडकर को लंबा जीवन नहीं मिला। अन्यथा उनका निर्णय इतिहास में और कारगर सिद्ध हो सकता था।

असाधारण बौद्धिक व्यक्तित्व के बाबा साहेब के निजी जीवन में दुखों के अंबार थे। उनके कई कथन और राजनीति के कुछ पड़ाव विवादास्पद और विरोधाभासी भी रहे हैं। गांधी और अम्बेडकर का संवाद समीकरण आजादी के पहले के भारत का महत्वपूर्ण परिच्छेद है। गांधी ने बड़े बौद्धिक मतभेदों के रहते भी अम्बेडकर को देश हित में भूमिका सौंपी। गरीब, लाचार, अशिक्षित, मजलूम मनुष्यों के समूह से लेकर अमीर, पूंजीपति और भ्रष्ट नौकरशाहों तक के उपचेतन में संविधान की हिदायतों का एक कोरस आज अंतर्ध्वनि की तरह गूंजता रहता है। इस समझ का बीजारोपण करना आसान नहीं था। अम्बेडकर संविधान संगीत की सिम्फनी रचने के आर्केस्ट्रा में शामिल थे। उसका राग तो नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण में उद्देशिका के जरिए तय किया था। बाद में संगीत की वह ध्वनि निर्देशक अम्बेडकर के हवाले कर दी गई। वह अनुगूंज आज भारतीय जीवन की है। अम्बेडकर नहीं होते तो तरसुम रचना अनिश्चित हो सकती था।

## सुप्रीम कोर्ट में 'गुजरात फाइल्स' का खौफ

अरुण माहेश्वरी

डर वाकई भारी बला है। इसकी चपेट में आदमी कभी-कभी बेबात भी अपने अंदर छिपे अपराध बोध को जाहिर कर देता है। जैसे संघी दिमाग अक्सर कहीं भी जब पाकिस्तान-पाकिस्तान करके चिल्लाना शुरू करता है तो सिर्फ अपनी खास पहचान को ही जाहिर करता है। उसे सूने रास्ते में कहीं से भी आती हुई कोई भी आवाज पाकिस्तान के साथ संपर्क साधने की कोशिश लगने लगती है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसी प्रकार का एक वाकया सामने आया। गुजरात में जब नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री, उस समय वहां 2002-2006 के बीच पुलिस ने कई फर्जी मुठभेदों में वहां बाहर से काम के लिये गये कुछ 22 से 37 साल की उम्र के मुस्लिम नौजवानों को यह कह कर फर्जी मुठभेदों में मार दिया गया था कि वे नरेन्द्र मोदी की हत्या की कोशिश कर रहे थे। मारे गये नौजवानों के घर वालों को उनकी मृत्यु की खबर तक नहीं दी गई थी और इसकी वजह से सारे भारत से गुजरात में जाकर काम करने वाले मुसलमान नौजवानों के परिवारों में भारी दुश्चिंता पैदा हो गई थी।

इसी पृष्ठभूमि में 2007 में ऐसी 22 फर्जी मुठभेदों पर वरिष्ठ पत्रकार वी जी वर्गीस और गीतकार जावेद अख्तर ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिये इन मामलों की सीबीआई या एसआईटी के जरिये जांच की याचिका दायर की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम बी शाह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया

था। बाद में इस कमेटी का दायित्व संभाला पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी ने।

एच एस बेदी ने इसी साल के शुरू में अपनी जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जिनके बारे में अभी-अभी सेवानिवृत्त जस्टिस जोसेफ कूरियन ने अभियोग लगाया है कि वे किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते थे। उन्होंने गुजरात में फर्जी मुठभेदों के बारे में बेदी कमेटी की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया।

अब दीपक मिश्रा के चले जाने के बाद कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को विचार के लिये उठाया और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई ने अभियोजन पक्ष के वकील प्रशांतभूषण को उस रिपोर्ट को सौंपने की पेशकश की। मुख्य न्यायाधीश ने ज्योंही यह प्रस्ताव दिया, केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल तुषार मेहता अपनी कुर्सी से उछल पड़े और तत्काल कहा कि मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें इसके बारे में गंभीर आपत्ति है। इस पर जब उन्हें अपनी बात रखने के लिये कहा गया तो वे बोले कि वे मौखिक नहीं, शपथपत्र के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और इसके लिये उन्हें जनवरी महीने तक का समय दिया जाना चाहिए।

जाहिर है कि बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट को बिना देखे ही केंद्र सरकार के वकील का इस प्रकार चौंक कर गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए उठ खड़ा होना किसी के लिये भी चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन इस पूरे विषय को जानने वाले तुषार

मेहता की इस बेचैनी के पीछे के डर को अच्छी तरह से जानते हैं। 2002-2006 के जिस काल में गुजरात पुलिस ने ये अपराध किये थे उस समय तुषार मेहता गुजरात सरकार के वकील हुआ करते थे। इसीलिये रिपोर्ट को बिना देखे ही उन्हें इसमें कहीं गई बातों का जरूर पूर्वानुमान है और वे नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में दुनिया को भी पता चले।

उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति की हत्याओं के बदनाम मामले शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद जब तुषार मेहता इसे सामने आने देना नहीं चाहते, तो लगता है कि इस जोड़ी ने न जाने कितने और ऐसे अपराध कराये होंगे। राणा अयूब की किताब 'गुजरात डायरी' से पता चलता है कि किस प्रकार गुजरात पुलिस का एक दस्ता वहां इनकी छाया तले बाकायदा एक हत्यारे गिरोह की तरह काम कर रहा था।

बहरहाल, तुषार मेहता की आपत्ति पर मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे ही यह मामले काफ़ी दिनों से झूल रहा है, अब इसे और नहीं झुलाया जा सकता है। लेकिन तुषार मेहता की भारी आपत्तियों को देखते हुए उन्होंने जनवरी तक का समय देने के बजाय सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया और तुषार मेहता से कहा कि वे अपना शपथपत्र इसी अवधि में दाखिल कर दें। आगामी 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। तुषार मेहता अपने मालिकों की इतनी सेवा करने में जरूर सफल हुए कि 7 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के पहले इस रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया। लेकिन देखा है — 'बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी' !

## 6 दिसम्बर- स्वतंत्र भारत का कलंकमय दिन

6 दिसम्बर स्वतंत्र भारत का कलंकमय दिन है। आज के ही दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिरायी गयी। जब यह मस्जिद गिरायी गयी तो मस्जिद गिराने वालों ने एक ऐतिहासिक मस्जिद को नष्ट किया, हमारे देश के संविधान और कानून की अवमानना की। इसके अलावा उस दिन अकेले अयोध्या में 14 मुसलमान मारे गए। 267 घर जलाए गए या तोड़े गए। 19 मजार और मदरसों को क्षतिग्रस्त किया गया। 4500 मुसलमानों को अयोध्या छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा देश के विभिन्न इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दुखद यह है कि जिन संगठनों ने यह सब काण्ड किया उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।

हमारे अनेक नेटमित्र आज राममंदिर की आस्था में डूबे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे राम-राम जपते-जपते इस भवसागर को आसानी से पार कर जाएंगे। आस्था को इन लोगों ने तर्क, विज्ञान, आधुनिक न्याय, संविधान आदि सबसे ऊपर स्थान दिया है। संघ परिवार आस्था के आधार पर आम लोगों को बेबकूफ बनाने में लगा है, मेरे नेटमित्र आस्था के नशे में डूबे हैं उन्हें अब राममंदिर दे ही दिया जाए और एक राम मंदिर नहीं सारे देश को राम मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। देश की सारी जनता से कहा जाए कि वह अपने घर, इमारत, स्कूल, कॉलेज-विश्वविद्यालय, न्यायालय, विज्ञान की प्रयोगशालाएं आदि सबको राम मंदिर में तब्दील कर दे। जनता सड़कों पर रहे, खुले आसमान के नीचे रहे। हम सबके घरों को भव्य राम मंदिरों में रूपान्तरित कर दिया जाए।

संघ परिवार और रामभक्तों को इस देश में प्रत्येक इमारत को भव्य राम मंदिर में रूपान्तरित करने का जिम्मा दे दिया जाए। सारा देश राम का है और रामभक्तों का है। राम और राम भक्तों को तो भारत में सिर्फ राममंदिर चाहिए चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। वे बच्चों की तरह राम लेंगे-राम लेंगे की रट लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर सभी रामभक्त गंभीरता से सोचकर जबाब दें कि देश की सभी इमारतों को भव्य राम मंदिर में रूपान्तरित क्यों न कर दिया जाए। हम अब न कुछ पैदा करेंगे, न ज्ञान की बातें करेंगे, न रेशनल बातें करेंगे, न विज्ञान की चर्चा करेंगे, हम न पढ़ेंगे और न लिखेंगे।

इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि का धंधा भी बंद कर दिया जाए सिर्फ राम धुन होगी, राम की इमेज होगी। अधिक से अधिक

सरसंघचालक के कुछ अमरवचन होंगे जिन्हें हम सुनें और धन्य हो धन्य हो, कहेंगे। आस्था में राम हैं। सारे वातावरण में राम हैं। यह देश राम का है और राम के अलावा इस देश में किसी भी देवी-देवता और मनुष्य की आस्था का कोई महत्व नहीं होगा। राम के प्रति आस्था के खिलाफ कोई अगर जुबान खोलेगा तो उसका वध होगा। राम हमारी राष्ट्रीय आस्था के प्रतीक हैं अब आगे से हम राम का ही उत्पादन और पुनरुत्पादन करेंगे।

राम घरों में रहेंगे मनुष्यों घरों के बाहर रहेंगे। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, वकीलों, न्यायाधीशों, अध्यापकों, आस्तिकों-नास्तिकों, नागरिकों और सभी किस्म के पेशवर लोगों को उनके धंधे से हटा दिया जाएगा अब आगे से हम सिर्फ आस्था खाएंगे, आस्था पीएंगे आस्था में जीएंगे। अब इस देश में सिर्फ रामभक्त रहेंगे। जो रामभक्त नहीं हैं वे अपने लिए अन्य देश खोज लें और हमारे राम जो भारत के बाहर अन्य देशों में चले गए हैं वहां से हम सभी राम मूर्तियों को ले आएंगे। राम को हम विदेश में नहीं रहने देंगे। गुस्ताखी देखो की जब एकबार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महाज्ञानी पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया और उस पर लखनऊ न्यायालय के न्यायसंपन्न न्यायाधीशों ने मुहर लगा दी

कि राम का जन्म कहां हुआ था तो इस बात को तो दुनिया की अब तक की सबसे महान खोज मान लिया जाना चाहिए और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनकी व्यवस्था वैसे ही की जाए जैसी रामजी ने राक्षसों की कीथी।

हमें खुश होना चाहिए कि हमारा देश सिर्फ राम का है यहां राम और रामभक्तों के अलावा किसी की नहीं चलेगी। हमारे यहां संसद, अदालत, संविधान और उसमें प्रदत्त नागरिक अधिकारों का अब कोई महत्व नहीं है, अब राम हमारे देश में जन्म ले चुके हैं और हमें उन सैंकड़ों-हजारों किताबों को आगे के हवाले कर देना है जो राम के विभिन्न किस्म के रूपों की चर्चा करती हैं। उन विद्वानों को रामभक्तों की कैद में डाल देना है जो राम को नहीं मानते, रामजन्म को नहीं मानते। अयोध्या को तो अब रामभक्त एकदम स्वर्ग बनाकर छोड़ें और भारत को रामराज्य और स्वर्गलोक। हम चाहते हैं कि रामभक्त और संघ जल्द से जल्द मिशन राम मंदिर को सारे राष्ट्र में साकार करें। हो सके तो रातों-रात रामजी से मिलकर सभी इमारतों को राममंदिर में तब्दील करा दें। जब देश राम और देशवासी राम के तो किसी तर्क, विवेक, विज्ञान, न्याय आदि के आधार पर सोचना नहीं चाहिए। जय श्री राम।

## FASHION.IN



Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

THE BEST PLACE FOR YOUR FAMILY DINING & GET-TOGETHERS. PARTIES

**HOTEL EKANT**

SCF-12,13,14 SECTOR 17, MARKET, FARIDABAD FOR BOOKINGS, CALL US AT 0129-4071291, 0129-4071292, .9821128528

APPETIZING & HYGENIC FOOD, GREAT AMBIENCE & EXCELLENT HOSPITALITY...